न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/52/2022	2022/169	18.05.2022	15.04.2024

1. कमल सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खोहरा चौहान, तहसील रैणी, जिला अलवर, राज0।

अपीलाण्ट

<u>बनाम</u>

1. मानसिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खोहरा चौहान, तहसील रैणी, जिला अलवर, राज0।
2. महाराज सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खोहरा चौहान, तहसील रैणी, जिला अलवर, राज0।
3. महावीर सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खोहरा चौहान, तहसील रैणी, जिला अलवर, राज0।
4. ओम सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खोहरा चौहान, तहसील रैणी, जिला अलवर, राज0।
5. ब्रजभान सिंह पुत्र जनक सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खोहरा चौहान, तहसील रैणी, जिला अलवर, राज0।
6. उदयभान सिंह पुत्र जनक सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खोहरा चौहान, तहसील रैणी, जिला अलवर, राज0।
7. रतनी देवी बेवाह जनक सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खोहरा चौहान, तहसील रैणी, जिला अलवर, राज0।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रैणी, जिला अलवर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार रैणी दिनांक 13.12.2004 नामान्तकरण संख्या 298 वाके ग्राम खोहरा चौहान तहसील रैणी।

उपस्थितः—

01. श्री गणपत सिंह नरूका — वकील अपीलाण्ट
02. श्री प्रकाश सिंह नरूका — रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ल0 07

<u>—:: निर्णय ::—</u>

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 13.12.2004 नामान्तकरण संख्या 298 वाके ग्राम खोहरा चौहान तहसील रैणी जिसके द्वारा नामान्तकरण को स्वीकार किए जाने से व्यथित होकर पेश की है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं :— अपीलान्ट की पैत्रक आराजी खसरा न0 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 726,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

727, 728, 729 वाके ग्राम खोहरा चौहान तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मु0 भौरी बेवाह इन्दरसिंह कौम राजपूत के नाम दर्ज चली आ रही थी इस प्रकार उक्त आराजी पैत्रक आराजी है जिस पर अपीलान्ट की माता मु0 भौरी के स्वर्गवास हो जाने के कारण अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 01 ल0 07 के द्वारा उक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड का इन्तकाल स्वयं के नाम दर्ज कराने हेतु रैस्पोडेन्ट संख्या 08 के कार्यालय में आवेदन किया गया जिस पर रैस्पोडेन्ट संख्या 08 तत्कालीन नायब तहसीलदार रैणी द्वारा आवेदन पर कार्यवाही करते हुए इंतकाल संख्या 298 दिनांक 13.12.2004 को स्वीकार किया गया जिस पर यह अपील पूर्ण वजूहात के साथ पेश की जा रही है। विवादित इंतकाल संख्या 298 को दर्ज करते समय रैस्पोडेन्ट संख्या 08 द्वारा कतई गौर नहीं करते हुए मनमाने तरीकों से अपीलान्ट का नाम कमल सिंह के स्थान पर कोमल सिंह अंकित कर दिया जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने स्वयं के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज में अपीलान्ट का नाम कमल सिंह दर्ज है किन्तु इस तथ्य पर गौर नहीं करते हुए अपीलान्ट का नाम कमल सिंह के स्थान पर कोमल सिंह दर्ज किया गया है जो संसोधित किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपने नाम के समर्थन में अपनी कक्षा 10वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड प्रस्तुत किया गया जिन सभी में अपीलान्ट का नाम कमल सिंह दर्ज है किन्तु इस तथ्य पर गौर नहीं करते हुए अपीलान्ट का नाम कमल सिंह के स्थान पर कोमल सिंह दर्ज किया गया है जो संसोधित किये जाने योग्य है। अपील इंतकाल स्वीकार आदेश दिनांक 13.12. 2004 को पारित किया गया जिस गलती की जानकारी अपीलान्ट को हाल ही में नकल जमाबंदी प्राप्त करने पर जानकारी अपीलान्ट को हाल ही में नकल जमाबंदी प्राप्त करने पर जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन करके नकल दिनांक 04.05.2022 को प्राप्त हुई है जिससे अपील हाजा अवधि पार होने के कारण पृथक से मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार रैणी द्वारा स्वीकार किये गये इंतकाल संख्या 298 दिनांक 13.12.2004 में अपीलान्ट का नाम संशोधित किया जाकर कोमल सिंह के स्थान पर कमल सिंह दर्ज किये जाने तथा उसी आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम संशोधित किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करें। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में आधार कार्ड 264185955082, पहचान पत्र RJ/08/065/342195, राशन कार्ड संख्या 007345600226 एवं माध्यमिक बोर्ड का प्रमाण पत्र क्रमांक 429859 प्रस्तुत किए गए हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। जवाब पेश न कर सीधी बहस करना चाहते हैं।

पत्रावली पर उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा यह पक्ष रखा गया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं और अपीलान्ट का सही नाम कमल सिंह है जो वक्त नामांतरकरण भूल से कोमल सिंह हो गया। उसका सारा पहचान का रिकॉर्ड यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यादि के प्रमाण पत्र कमल सिंह के नाम से ही है। कमल सिंह और कोमल सिंह एक ही नाम हैं। अलग–अलग नहीं है। इसका नामांतरकरण में कमल सिंह सही नाम किया जाए। रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया कि सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और कोमल सिंह और कमल सिंह एक ही नाम हैं और यह श्री इन्द्रसिंह का पुत्र है। यदि कमल सिंह नाम कर दिया जाए तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दर्ज नाम एवं वास्तविक नाम में अंतर प्रमाणित है। प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। अपील में तथ्यनिहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट एक ही पिता एवं एक ही परिवार के सदस्य हैं। वक्त नामांतरकरण कमल सिंह का नाम कोमल सिंह दर्ज कर दिया गया है। इन सबका समस्त रिकॉर्ड भी पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 08 द्वारा दिनांक 13.12.2004 को नामान्तकरण संख्या 298 स्वीकार करते समय अपीलान्ट का नाम कोमल सिंह दर्ज कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर जाकर समुचित जांच व पहचान नहीं किया जाकर नामान्तकरण में कोमल सिंह नाम दर्ज कर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में प्रस्तुत आधार कार्ड 264185955082, पहचान पत्र RJ/08/065/342195, राशन कार्ड संख्या 007345600226 एवं माध्यमिक बोर्ड का प्रमाण पत्र क्रमांक 429859 में अपीलान्ट का नाम कमल सिंह दर्ज है। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 13.12.2004 द्वारा स्वीकार किए गए नामान्तकरण संख्या 298 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार रैणी द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 298 वाके ग्राम खोहरा चौहान निर्णय दिनांक 13.12.2004 तहसील रैणी कोमल सिंह की सीमा/हद तक आंशिक रूप से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रैणी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट श्री कमल सिंह को विधिवत सुनकर एक माह में निर्णय पारित कर इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही किये जाने की सुनिश्चितता करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

राजस्थान
सरकार